सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

जन आधार के बढ़ते कदम

जन आधार

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

योजना भवन, जयपुर

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

जन आधार

जन सुविधाओं का नया आधार

जन आधार पोर्टल एवं पहचान पोर्टल के एकीकरण के उपरान्त **तत्काल जनसंख्या आंकलन** संभव।
पहचान पोर्टल से जन्म-मृत्यु की सूचनाएँ API के माध्यम से स्वतः ही जन आधार नामांकन में दर्ज व हटाई जाएंगी।

प्रत्येक जन आधार नामांकन में दर्ज सूचनाओं की सत्यता हेतु आधार ई-के वाई सी अनिवार्य।

विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ देय।

जन कल्याण की योजनाओं के लाभ पात्र लाभार्थियों को जन आधार डेटाबेस पर आधारित **स्वतः सन्देश (Auto intimation)** एवं **स्वतः अनुमोदन (Auto approval)/ मानित अनुमोदन (Deemed approval)** की सुविधा।

मेरा अधिकार मेरे हाथ

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, आयोजना विभाग
योजना भवन, जयपुर, राजस्थान

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	जन आधार योजना : परिचय	1
2.	जन आधार योजना से पूर्व एवं पश्चात्	3
3.	जन आधार योजना की क्रियान्विति	5
4.	जन आधार पंजीयन एवं कार्ड वितरण प्रक्रिया	11
5.	राज्य में जन आधार योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था	15
6.	जन आधार योजना की वैधानिक पृष्ठभूमि	17
7.	राजस्थान जन आधार योजना द्वारा स्थापित नए आयाम	19
8.	जन आधार योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी)	25
9.	जन आधार योजना के माध्यम से अधिप्रमाणन	33
10.	जन आधार एवं आधार	35
11.	राजस्थान जन आधार योजना है अनूठी योजना!	37
12.	पारदर्शिता एवं सामाजिक अंकेक्षण	39
	परिशिष्ट : 1. राजस्थान जन आधार योजना के लिए पंजीयन–प्रपत्र 2. जन आधार संबंधी सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न	

जन सुविधाओं का
नया आधार

जन आधार

1 जन आधार योजना : परिचय

1.1 परिचय

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परिवर्तित बजट 2019–20 में विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से **'एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान'** की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए **'राजस्थान जन आधार योजना'** लाए जाने की घोषणा की गई। इसके साथ ही इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किए जाने और ई–मित्र परियोजना को भी इस प्राधिकरण के अधीन लाए जाने की घोषणा की गई।

उक्त बजट घोषणा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 18.12.2019 को ''राजस्थान जन आधार योजना, 2019'' का शुभारम्भ किया गया है। राज्य के सभी विभागों की योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से ''एक नम्बर एक पहचान'' की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ''राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020'' को प्रवृत किया गया है।

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 3) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 बनाये गये हैं, जिन्हें राजस्थान राजपत्र में दिनांक 04 अगस्त, 2021 को प्रकाशित करवाया गया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण ''राजस्थान जन आधार प्राधिकरण'' का भी गठन किया जा चुका है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के माध्यम से राज्य के सभी निवासी परिवार, पंजीयन कराने व जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है।

1.2 उद्देश्य एवं आवश्यकता

1. राज्य के निवासी परिवारों की जन–सांख्यिकीय एवं सामाजिक–आर्थिक (Demographic and Socio-Economic) सूचनाओं का डेटा बेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को ''एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान'' प्रदान किया जाना, जिसे परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान (Proof of Identity), पते (Proof of Address) तथा संबंध (Proof of Relationship) के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान कराना।
2. पात्र लाभार्थियों को नकद लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से उनके बैंक खातों में और गैर–नकद लाभ, आधार/जन आधार अधिप्रमाणन उपरान्त घर के समीप हस्तांतरित करवाना।

3. राज्य के निवासियों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभों के अतिरिक्त ई–कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार कराना।
4. ई–मित्र तंत्र को जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उसके विनियमन द्वारा प्रभावी नियंत्रण व संचालन करना।
5. राज्य में विद्यमान तकनीकी तथा इलेक्ट्रॉनिक ढाँचे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना।
6. महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
7. सरकार द्वारा प्रदत्त जनकल्याण के लाभों की योजनाओं हेतु परिवार/परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करना।
8. विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्ति के समय आधार अधिप्रमाणन को लाभार्थी के जीवितता प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता प्रदान करना ।

जन-जन का हक - सीधे जन-जन तक

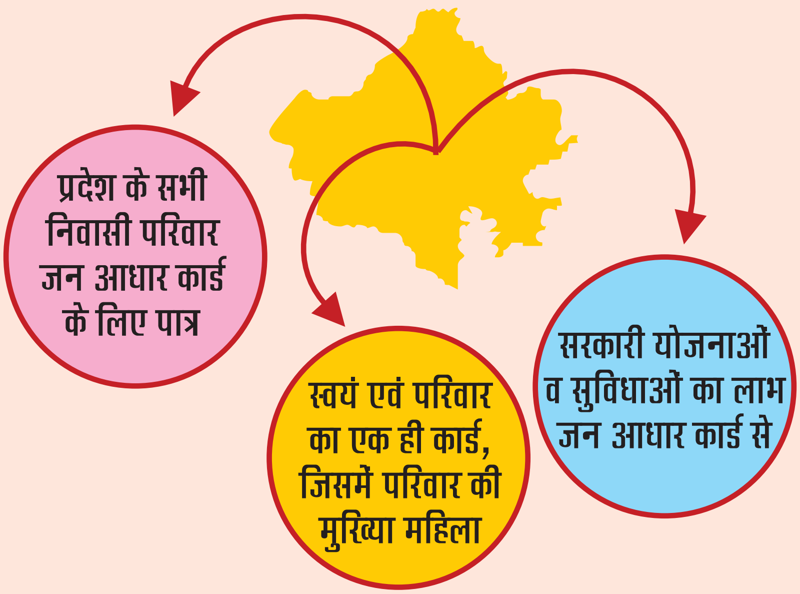

राजस्थान जन आधार योजना की विशेषताएं

- राज्य के निवासी परिवारों की जन-सांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक सूचनाओं का डेटा बेस तैयार करना।
- नकद लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से तथा गैर-लाभ आधार/जन आधार अधिप्रमाणन उपरान्त देय।
- राज्य के निवासियों को जन-कल्याण की योजनाओं/सेवाओं के लाभ उनके घर के समीप उपलब्ध कराना।
- महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

2 जन आधार योजना से पूर्व एवं पश्चात्

राज्य के निवासियों को सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर आवेदन करना पड़ता था जिससे योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचने में काफी समय लगता था साथ ही उन तक सम्पूर्ण लाभ पहुँचने की भी कोई गारन्टी नहीं होती थी। जानकारी के अभाव में लाभार्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। निवासियों की उक्त समस्याओं का समाधान जन आधार योजनान्तर्गत एक प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया है। निम्नलिखित तालिका में जन आधार योजना से पूर्व एवं पश्चात् की स्थिति का वर्णन किया गया है।

तालिका 2.1 : जन आधार योजना से पूर्व एवं पश्चात् की स्थिति

जन आधार योजना से पूर्व	जन आधार योजना के पश्चात
• **विभिन्न विभागों की भिन्न–भिन्न योजनाओं के लिए अलग–अलग आवेदन अनिवार्य** • **योजना के लाभ प्राप्ति हेतु आवश्यक रूप से लाभार्थी की ओर से ही पहल अर्थात सरकार द्वारा लाभार्थी की स्वतः पहचान कर योजना से जोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं**	• केवल जन आधार नामांकन के समय ही दस्तावेजों के माध्यम से सूचनाओं का सत्यापन– किसी भी जनकल्याणकारी योजना से जुड़ने के लिए अलग से पात्रता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं । • पात्र लाभार्थी की पहचान जन आधार रेजिडेन्ट डेटा रिपोजिटरी (JRDR) से की जा सकती है तथा बिना लाभार्थी के आवेदन किए जन आधार नामांकन के समय प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर पात्रता निर्धारित कर योजनाओं के लाभ ऑटो इन्टीमेशन/अप्रूवल के माध्यम से देय
• **विभिन्न विभागों की अलग–अलग योजनाओं के लिए अलग–अलग पात्रता दस्तावेजों का आवेदन के समय हर बार परीक्षण करवाना पड़ता था** • **स्वीकृति अधिकारी द्वारा पात्रता का अपने स्तर पर पुनः सत्यापन यथा भौतिक सत्यापन/जाँच रिपोर्ट**	• पात्रता का सत्यापन – जन आधार में पहचान व योजनाओं के लिए पात्रता का द्वि–स्तरीय सत्यापन नामांकन के समय ही हो जाता है– ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम स्तरीय सत्यापन ग्राम विकास अधिकारी एवं द्वितीय स्तरीय सत्यापन ब्लॉक विकास अधिकारी तथा नगर निकाय क्षेत्र में प्रथम स्तरीय सत्यापन अधिशाषी अधिकारी एवं द्वितीय स्तरीय सत्यापन उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जाता है। • किसी योजना के लाभ के लिए आवेदन स्वीकृति के समय पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।
• **फर्जी लाभार्थी के लाभ लेने की व लाभ के दोहराव की संभावना**	• जन आधार में आधार के उपयोग से फर्जी लाभार्थी के लाभ लेने व लाभ के दोहराव (Duplicity) की संभावना नगण्य है।

जन आधार योजना से पूर्व	जन आधार योजना के पश्चात
• विभिन्न योजनाओं के लिए बार–बार अलग–अलग कार्यालयों में उपस्थित होकर अपनी पात्रता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते थे	• आम नागरिकों को बार–बार विभिन्न कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराने से छुटकारा मिलने से उनके समय, धन एवं परिश्रम की बचत।
• राजकीय नकद लाभ की सेवाएँ जहाँ से प्राप्त की जा सकती थी– ➢ समस्त नकद लाभ केवल संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं हस्तान्तरित किए जाते थे ➢ लाभार्थी द्वारा अपने खाते से मुख्य रूप से सरकारी दफ्तर/बैंक या डाकखाने में स्वयं की उपस्थिति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते थे ➢ लाभार्थी को सूचना के अभाव में बैंक और डाकखाने के बार–बार चक्कर काटने पड़ते थे	• राजकीय नकद लाभ की सेवाएँ प्राप्त करने की पुख्ता व्यवस्था ➢ जन आधार के माध्यम से लाभ सीधे बैंक खातों में ➢ समयबद्ध लाभ हस्तांतरण ➢ जन आधार के माध्यम से मध्यस्थ की भूमिका नगण्य ➢ जन आधार के माध्यम से सीधे बैंक खाते में हस्तांतरण से मनीऑर्डर आदि से पैसे की बचत
• लाभार्थी को लाभ मिला है अथवा नहीं इसकी सटीक जानकारी हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी परिणामस्वरूप लाभ प्रदायगी में विलम्ब और वंचित होने की सम्भावनाएँ थी	• पात्र लाभार्थियों तक लाभ पहुँचा या नहीं इसकी वास्तविक समय (Real Time) में जानकारी की व्यवस्था की गई है किसी भी विलम्ब की स्थिति में तुरन्त निराकरण किया जा सकता है।
• लाभार्थी को लाभ हस्तान्तरण के संबंध में सूचना देने की कोई व्यवस्था नहीं	• लाभार्थी को लाभ (नकद व गैर–नकद) हस्तान्तरण के समय उसके मोबाईल पर एसएमएस के माध्यम से लाभ की सूचना तुरन्त मिल जाती है।
• परिवार से संबंधित समस्त सूचना एक स्थान पर उपलब्ध नहीं	• परिवार से संबंधित नकद एवं गैर–नकद लाभ हस्तान्तरण की जानकारी ऑनलाईन जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध है, इस जानकारी का सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रशासनिक प्रतिवेदन ग्राम सभा एवं वार्ड समिति में वर्ष में दो बार (छः छः माह के अन्तराल में) प्रस्तुत किया जा रहा है।

3 जन आधार योजना की क्रियान्विति

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की परिवर्तित बजट घोषणा 2019–20 के बिन्दु 1 में वर्णित घोषणा की अनुपालना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2019 को **''राजस्थान जन आधार योजना, 2019''** का शुभारम्भ किया गया है। राज्य के सभी विभागों की योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से **''एक नम्बर एक पहचान''** की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए **''राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020''** को प्रवृत किया गया है।

3.1 राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन किया गया है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के संचालन एवं जन आधार योजना की क्रियान्विति हेतु सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :

तालिका 3.1 : राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन

क्र.सं.	नाम / पदनाम	प्राधिकरण में पद
1	मुख्य सचिव, राजस्थान	अध्यक्ष
2	प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग	शासकीय सदस्य
3	प्रभारी शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	शासकीय सदस्य
4	प्रभारी शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	शासकीय सदस्य
5	प्रभारी शासन सचिव, पंचायती राज विभाग	शासकीय सदस्य
6	उप महानिदेशक निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC)	शासकीय सदस्य
7	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित	गैर शासकीय सदस्य
8	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित	गैर शासकीय सदस्य
9	प्रभारी शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य सचिव

3.2 कार्यकारिणी समिति

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत प्रभारी शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की अध्यक्षता में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति का निम्नानुसार गठन किया गया है :

तालिका 3.2 : राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति का गठन

क्र.सं.	नाम / पदनाम	कार्यकारिणी में पद
1	प्रभारी शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	अध्यक्ष
2	आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	सदस्य
3	विशिष्ट / संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य
4	वित्त विभाग द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी, जो संयुक्त शासन सचिव की रैंक से अनिम्न हो	सदस्य
5	निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	सदस्य
6	निदेशक वित्त, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	सदस्य
7	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	सदस्य सचिव

3.3 जन आधार पंजीयन व जन आधार कार्ड बनवाना

राज्य के सभी निवासी परिवार, पंजीयन कराने व जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। जन आधार के सफल पंजीयन के उपरान्त–

- प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाती है।
- परिवार के प्रत्येक सदस्य को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या प्रदान की जाती है।
- प्रत्येक परिवार को एक प्लास्टिक का जन आधार कार्ड प्रदान किया जाता है।
- जन आधार पंजीयन ई–मित्र अथवा स्वयं द्वारा वेबसाइट https://janaadhaar.rajasthan.gov.in/ के माध्यम से किया जा सकता हैं।

राजस्थान जन आधार योजना अन्तर्गत जन आधार नामांकन में महिला को सशक्त करने के उद्देश्य से महिला को मुखिया के रुप में मान्यता दी गई है, परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाता है। परिवार के मुखिया के नामांकन हेतु पात्रता है– बैक अकाउंट, आधार, यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष को परिवार का मुखिया बनाया जाता है। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला और 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष भी नहीं हो तो परिवार में अधिकतम आयु का सदस्य परिवार का मुखिया होता है, इस स्थिति में जब तक उस परिवार की महिला 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती है।

राज्य के निवासी परिवारों को एकबारीय निःशुल्क जन आधार परिवार कार्ड उपलब्ध कराया जाता है, जो बहुउद्देश्यीय कार्ड है। सरकार द्वारा संचालित समस्त जन–कल्याणकारी योजनाओं के लाभ/सेवाएं इस कार्ड के आधार पर हस्तांतरित किये जा रहे है।

भविष्य में जन आधार व्यक्तिगत कार्ड भी जारी किये जाने है। राज्य के पंजीकृत निवासियों द्वारा स्वयं जन आधार डेटा रिपोजिटरी में दर्ज सूचनाओं को समय–समय पर आवश्यकतानुसार अद्यतन कराया जाता है।

जन आधार डेटा रिपोजिटरी से एकीकृत अन्य योजनाओं के डेटाबेस में लाभार्थी की सूचना में अद्यतन होने पर जन आधार डेटा रिपोजिटरी में भी उस निवासी की सूचनाओं में अद्यतन किया जा रहा है। (Reverse Seeding) परिवार के किसी भी सदस्य का आधार नामांकन होने पर उस सदस्य की आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर परिवार द्वारा दर्ज करवाना आवश्यक है। जन आधार के नामांकन के लिए प्रपत्र का प्रारूप परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

3.4 नकद व गैर–नगद लाभों की प्रदायगी सुनिश्चित करवाना

नकद लाभ–पात्रता अनुसार देय सभी परिवारिक नकद लाभ सीधे परिवार के मुखिया के बैंक खाते में हस्तांतरित किये जा रहे हैं। व्यक्तिगत नकद लाभ संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में, यदि लाभार्थी का बैंक खाता नहीं है तो परिवार के मुखिया के बैंक खाते में हस्तांतरित किये जाते हैं।

गैर–नकद लाभ पात्रता अनुसार देय सभी पारिवारिक गैर–नकद लाभ परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य तथा व्यक्तिगत गैर–नकद लाभ संबंधित लाभार्थी (अवयस्क लाभार्थी की स्थिति में परिवार का मुखिया) स्वयं के आधार अधिप्रमाणन उपरान्त प्राप्त करता है।

3.5 घर के नजदीक लाभ हस्तांतरण हेतु सेवाओं का विस्तार करवाना

राजस्थान राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुदूर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार किया गया है ताकि आम निवासियों को घर के नजदीक योजनाओं के लाभ/सेवाएं प्राप्त हो सकें।

राज्य में गैर–नकद लाभ की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ तथा दिन–प्रतिदिन की सेवाएं घर के नजदीक प्रदान करने हेतु ई–मित्र केन्द्रों, ई–मित्र प्लस सेल्फ सर्विस कियोस्क, ई–कॉमर्स, बीमा इत्यादि सेवाओं का विस्तार किया गया है।

3.6 घर के नजदीक ई–कॉमर्स, बीमा इत्यादि सेवाओं का विस्तार करवाना

प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को जन आधार कार्ड के माध्यम से विभिन्न ई–कॉमर्स सेवाऐं यथा दवाईयां, सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्रादि, बच्चों के खिलौने एवं दैनिक उपयोगी वस्तुऐं सस्ती दर पर उपलब्ध करवाना है। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न ई–कॉमर्स संस्थाओं यथा Amazon, Flipkart इत्यादि की सेवाऐं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, इस कारण राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त सेवाऐं जन आधार कार्ड के माध्यम से प्रदान की जायेंगी। इस प्रकार भविष्य में प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य बीमा की तरह अन्य प्रकार के बीमा जैसे– सामान्य बीमा (General Insurance), गृह बीमा (Home Insurance) इत्यादि बीमा सुविधा प्रदान की जायेंगी।

3.7 ई–मित्र परियोजना का विस्तार करवाना

राजस्थान जन आधार योजना के अन्तर्गत ई–मित्र परियोजना का संचालन एवं विस्तार किया गया है। राजस्थान जन आधार योजना के अन्तर्गत ई–मित्र के माध्यम से सेवा प्रदायगी में पारदर्शिता लाने और प्रभावी नियन्त्रण हेतु विनियम बनाये गये हैं।

3.8 पोर्टल्स (Portals) का एकीकरण (Integration) करवाना

परिवार को प्रदान किये जाने वाले विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभों से संबंधित एप्लीकेशनों को जन आधार पोर्टल से चरणबद्ध रूप से एकीकृत किया जाता है। एकीकरण के पश्चात् संबंधित विभागों की एप्लीकेशनों द्वारा योजनाओं का लाभ जन आधार परिवार पहचान संख्या के माध्यम से ही हस्तांतरित किया जाता है तथा इसका विवरण जन आधार प्लेटफार्म से साझा किया जाता है।

राज्य में अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, अतः किसानों के उत्थान हेतु संचालित सभी योजनाओं को प्राथमिकता से राजस्थान जन आधार पोर्टल से जोड़ा गया है ताकि उन्हें प्राप्त होने वाले सभी नकद व गैर–नकद लाभ एवं सेवाएं सीधे व पारदर्शी रूप से समय पर प्राप्त हो सके। **जिन जनकल्याणकारी योजनाओं के डेटाबेस एवं भुगतान का ऑनलाईन प्लेटफॉर्म वर्तमान में उपलब्ध नहीं, उन सेवाओं एवं परिलाभों को जन आधार प्लेटफॉर्म से जोड़कर जन आधार के माध्यम से लाभ हस्तांतरित सुनिश्चित किया जाता है।**

3.9 जन कल्याणकारी योजनाओं हेतु लाभार्थियों की पात्रता का निर्धारण करवाना–

सभी विभागों द्वारा जन आधार डेटा रिपोजिटरी के माध्यम से ही परिवार की पात्रता निर्धारित कर सेवाएं/लाभ हस्तांतरित किए जाते हैं। यदि किसी परिवार को अपनी पात्रता/दर्ज सूचनाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अपेक्षित होता है तो जन आधार डेटा रिपोजिटरी में ही परिवर्तन करवाना होता है। विभागीय योजनाओं में पृथक से अद्यतन कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। राज्य सरकार द्वारा आमजन को सरलता एवं सुगमता से लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभागों द्वारा संचालित लोककल्याणकारी योजनाओं के लाभ जन आधार के माध्यम से प्रदान करने हेतु स्वतः आवेदन एवं स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत आमजन द्वारा पात्रता पूर्ण करने के उपरान्त योजनाओं के लाभों से लाभान्वित किया जा रहा है। यदि पात्र लाभार्थी द्वारा योजना की पात्रता पूर्ण करने हेतु किसी भी प्रकार के दस्तावेज का अभाव है, तो जन आधार मे दर्ज मोबाइल नम्बर पर पात्रता पूर्ण करने संबंधी संदेश प्रसारित किया जायेगा।

जन आधार

सरकारी सुविधा पाने का नया आधार

जन आधार की विशिष्टताएं

राष्ट्र में प्रथम बार

जन आधार के माध्यम से महिला को परिवार की मुखिया घोषित करने का श्रेय राजस्थान को।

राष्ट्र का सबसे बड़ा

पारिवारिक डेटाबेस।

राष्ट्र का पहला

पारिवारिक कार्ड जो कि राशन कार्ड भी है।

राष्ट्र में प्रथम

मूल डेटाबेस जिसके माध्यम से जन कल्याण की सभी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को एक प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण।

राष्ट्र में प्रथम बार

जन कल्याण की योजनाओं के लाभ पात्र लाभार्थियों को जन आधार डेटाबेस पर आधारित **स्वत: सन्देश (Auto intimation)** एवं **स्वत: अनुमोदन (Auto approval)/ मानित अनुमोदन (Deemed approval)** की सुविधा आरम्भ।

"मेरा अधिकार मेरे हाथ"

अधिक जानकारी के लिए: टोल फ्री नम्बर 1800 180 6127 अथवा 181 पर कॉल करें या https://janaadhaar.rajasthan.gov.in देखें।

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, आयोजना विभाग

4 जन आधार पंजीयन एवं कार्ड वितरण प्रक्रिया

4.1 नवीन पंजीकरण वाले परिवारों के लिए

जन आधार पंजीयन हेतु राज्य के निवासी परिवार का वयस्क सदस्य जन आधार पोर्टल पर स्वयं अथवा नजदीकी ई–मित्र पर निःशुल्क पंजीयन करवाया जाता है। परिवार द्वारा दर्ज करवाई गई सूचनाओं व अपलोड किए गए दस्तावेजों आदि के आधार पर सत्यापन उपरान्त 10 अंकीय जन आधार परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाती है तथा उसके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर सूचित कर दिया जाता है।

4.2 जन आधार नामांकन की प्रक्रिया

जन आधार नामांकन के लिए आवेदनकर्ता वेबसाइट https://janaadhaar.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध Jan Aadhaar Enrollment के माध्यम से नामांकन किया जा सकता है अथवा परिवार का कोई भी सदस्य नजदीकी ई–मित्र केन्द्र पर जाकर वांछित पात्रता से संबंधित सूचना प्रस्तुत कर जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा सकता है। उसके उपरान्त सिस्टम द्वारा आवेदक को रजिस्ट्रेशन संख्या दी जाती हैं, रजिस्ट्रेशन संख्या को दर्ज करने से नामांकन हेतु पृष्ठ प्रदर्शित हो जाता हैं। पृष्ठ में व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सूचना अंकित की जाती है, इसके उपरान्त सदस्यों का भी तदानुसार पंजीयन किया जाता है। जन आधार नामांकन पूर्ण होने के पश्चात् सफल सत्यापन उपरान्त जन आधार परिवार पहचान संख्या जारी कर जन आधार कार्ड प्रदान किया जाता है।

राजस्थान जन आधार योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :–

अनिवार्य दस्तावेज

1. परिवार के मुखिया एवं परिवार के कम से कम एक सदस्य की आधार कार्ड की प्रति
2. परिवार के मुखिया की बैंक पासबुक की प्रति (आवश्यकता होने पर परिवार के अन्य सदस्य के बैंक पासबुक की प्रति)
3. परिवार के मुखिया एवं परिवार के सभी सदस्यों के पासपोर्ट साइज फोटो

अन्य दस्तावेज

परिवार के मुखिया के साथ संबंध, पहचान एवं पते के लिए निम्नलिखित दस्तावेज मान्य है। जाति प्रमाण पत्र/जन्म–प्रमाण पत्र/वोटर पहचान पत्र/मनरेगा जॉब कार्ड/बीपीएल कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस/बिजली–पानी–टेलीफ़ोन बिल की कॉपी/एलपीजी कनेक्शन की डायरी/एलआईसी पॉलिसी/पे–स्लिप/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित पते हेतु प्रमाण का शपथ पत्र।

4.3 संशोधन/अद्यतन

जन आधार पंजीयन में दर्ज सूचनाओं में किसी भी प्रकार का संशोधन/अद्यतन ई–मित्र या एस.एस.ओ़. के माध्यम से करवाया जा सकता है। जन आधार नामांकित सदस्य द्वारा राज एस.एस.ओ़. पर जाकर स्वयं की एस.एस.ओ. प्रोफाइल में जन आधार अपडेट करने के उपरान्त Citizen Apps में उपलब्ध जन आधार आइकन पर जाकर अद्यतन किया जा सकता है। संशोधन/अद्यतन परिवार के मुखिया/वयस्क सदस्य द्वारा आधार अधिप्रमाणन के माध्यम से कराया जाता है। निवासी चाहे तो अद्यतन जन आधार ई–कार्ड ई–मित्र/ई–मित्र प्लस/एस.एस.ओ. पर जाकर भी डाउनलोड कर सकता है अथवा निर्धारित शुल्क देकर पी.वी.सी. कार्ड भी प्राप्त कर सकता है।

जन आधार संशोधन/अद्यतन की निम्नलिखित प्रकिया : ई–मित्र पर जाकर जन आधार नामांकन में दर्ज मोबाइल नम्बर पर OTP या आधार अधिप्रमाणन के माध्यम से नामांकन में दर्ज सूचना में संशोधन/अद्यतन या नवीन सूचना अंकित कर सकता है।

एस.एस.ओ. के माध्यम से जन आधार संख्या को एस.एस.ओ. की प्रोफाइल में अपडेट करने के उपरान्त Citizen Apps में उपलब्ध जन आधार आइकन में जाकर संशोधन किया जा सकता है।

जन आधार नामांकन में निम्नलिखित संशोधन एवं अद्यतन किये जा सकते हैं:–

1. SPLIT : राजस्थान जन आधार योजनान्तर्गत जन आधार नामांकन में SPLIT की सुविधा प्रदान की गई हैं। इसके अन्तर्गत जन आधार नामांकन में आवश्यकता होने पर किसी भी सदस्य द्वारा नवीन नामांकन किये जाने के स्थान पर उक्त जन आधार नामांकन में से विभाजित किया जा सकता है। यदि उक्त सदस्य विभाजन उपरांत व्युत्पन्न जन आधार नामांकन में HoF की पात्रता रखता है तो ही SPLIT की प्रक्रिया संभव है। उल्लेखनीय है कि पात्रता पूर्ण होने के उपरांत एक जन आधार में से एक या एक से अधिक जन आधार SPLIT किया जा सकते हैं।
2. MERGE : राजस्थान जन आधार योजनान्तर्गत जन आधार नामांकन में MERGE की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अन्तर्गत दो या दो से अधिक जन आधार नामांकन में आवश्यकता होने पर उक्त नामांकनों को एक जन आधार नामांकन में MERGE किया जा सकता है।
3. HoF Transfer : राजस्थान जन आधार योजनान्तर्गत जन आधार नामांकन में HoF Transfer की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अन्तर्गत जन आधार नामांकन में आवश्यकता होने पर HoF का स्थानान्तरण कर किसी अन्य जन आधार नामांकन या नवीन नामांकन में सदस्य या मुखिया के रूप में जोड़ा जा सकता है।

यदि मुखिया या किसी भी सदस्य के नाम, जन्म की तारीख, लिंग, श्रेणी या जाति में एक से अधिक बार संशोधन कराया जाता है, तो आवेदक द्वारा जिला कलेक्टर को अपील की जाती है। जिला कलेक्टर संशोधन से संबंधित समर्थित दस्तावेजों पर विचार करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर आवेदक को प्रदान करता है, तत्पश्चात् जिला कलेक्टर संशोधन हेतु की गई अपील को अनुमोदित या अस्वीकृत करता है।

4.4 परिवारों / व्यक्तियों का पंजीयन निरस्त करना

यदि कोई अपात्र परिवार / व्यक्ति द्वारा छलपूर्ण प्रलेख (Fake Document) प्रस्तुत कर जन आधार पंजीयन करवा लिया है / कार्ड प्राप्त कर लिया है तो ऐसे जन आधार पंजीयन / कार्ड को स्थायी रूप से नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

यदि कोई अपात्र परिवार / व्यक्ति द्वारा छलपूर्ण प्रलेख (Fake Document) पाया जाता है, तो उस जन आधार नामांकन एवं संख्या को निरस्त करने की अनुशंसा शहरी क्षेत्र में SDM द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्र में BDO द्वारा जिला कलेक्टर को की जाती है।

"जन सुविधाओं का नया आधार"
जन-आधार

एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान

5 राज्य में जन आधार योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का प्रशासनिक विभाग आयोजना विभाग है एवं प्राधिकरण का कार्यालय राज्य स्तर पर योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में स्थित है। आयोजना विभाग के शासन सचिव, प्राधिकरण में महानिदेशक तथा निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्राधिकरण की योजना क्रियान्वयन एजेन्सी राजकॉम्प इन्फो. सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर है। जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर निम्नानुसार प्रशासनिक व्यवस्था की गई है :

5.1 जिला स्तर पर व्यवस्था

जिला कलेक्टर	जिला जन आधार योजना अधिकारी
उप निदेशक (एसीपी), जिला सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	अतिरिक्त जिला जन आधार योजना (तकनीकी)
उप/सहायक निदेशक, जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी	अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी

5.2 ब्लॉक स्तर पर व्यवस्था

उपखण्ड अधिकारी	उपखण्ड जन आधार योजना अधिकारी
विकास अधिकारी/ ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी	अतिरिक्त ब्लॉक जन आधार योजना अधिकारी
प्रोग्रामर	अतिरिक्त ब्लॉक जन आधार योजना अधिकारी (तकनीकी)

जन सुविधाओं का नया आधार

जन आधार पंजीकरण कैसे करवाएं ?

- राज्य के निवासी जन आधार पोर्टल पर स्वयं अथवा नजदीकी ई-मित्र पर निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं।
- सूचनाओं के सत्यापन उपरान्त 10 अंकीय जन आधार परिवार पहचान संख्या तथा जन आधार कार्ड जारी।
- परिवार के प्रत्येक सदस्य को 11 अंकीय पहचान संख्या भी जारी।

जन आधार पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आधार कार्ड
- परिवार के सभी सदस्यों की पासपोर्ट साईज फोटो
- परिवार के मुखिया की बैंक पासबुक की प्रति
- परिवार के पते एवं पहचान के दस्तावेज की प्रति
- अन्य दस्तावेज (नामांकन प्रपत्र के अनुसार)
- नामांकन प्रपत्र हेतु वेबसाइट
  www.janaadhaar.rajasthan.gov.in

6 जन आधार योजना की वैधानिक पृष्ठभूमि

जन आधार योजना का क्रियान्वयन राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 3) पर आधारित है। साथ ही इस अधिनियम की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 बनाये गये हैं, जिन्हें राजस्थान राजपत्र में दिनांक 04 अगस्त, 2021 को प्रकाशित करवाया गया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण **''राजस्थान जन आधार प्राधिकरण''** का भी गठन किया जा चुका है। ये दोनों दस्तावेज प्राधिकरण की वेबसाइट– janaadhaar.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं। परन्तु आमजन की जगरूकता के लिए अधिनियम महत्त्वपूर्ण के कुछ Sections तथा कुछ Rules यहाँ भी उद्धर्णित किए जा रहे हैं।

1. राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के अनुच्छेद 6 के अनुसार – **जन आधार कार्ड के लिए नामांकन –** (1) राज्य का प्रत्येक निवासी कुटुंब, अपने मुखिया के माध्यम से या किसी सबसे बड़े या वयस्क सदस्य के माध्यम से, अपने सभी सदस्यों की पहचान सूचना और फोटो विहित रीति से प्रस्तुत करके जन आधार कार्ड अभिप्राप्त करने का हकदार होगा।

2. राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के अनुच्छेद 14 के अनुसार– **सेवाओं का परिदान –** (1) राज्य सरकार, लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए किसी कुटुंब या उसके किन्हीं भी सदस्यों की पहचान शर्त के रूप में स्थापित करने के प्रयोजन के लिए जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से परिदत्त की जाने वाली सेवाओं की सूची केन्द्रीय अधिनियम की धारा 7 के अधीन अधिसूचित कर सकेगी।

   अनुच्छेद 14 के ही उप अनुच्छेद (3) के अनुसार ई–मित्र नेटवर्क का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंध प्राधिकरण में निहित होगा।

3. राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के अनुच्छेद 3 के अनुसार– **लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए आधार और/या जन आधार का अधिप्रमाणन और सबूत आवश्यक होना –** राज्य सरकार, किन्हीं ऐसी लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं, जिनका व्यय राज्य की समेकित निधि से उपगत किया जाता है, की प्राप्ति के लिए किसी व्यष्टि की पहचान शर्त के रूप में स्थापित करने के प्रयोजन के लिए, यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसा व्यष्टि आधार संख्यांक और/या जन आधार आई.डी. का अधिप्रमाणन करवाये या उसके कब्जे का सबूत दे या ऐसे किसी व्यष्टि के मामले में, जिसे कोई आधार संख्यांक और कोई जन आधार आई.डी. समनुदेशित नहीं की गयी है वहाँ ऐसा व्यष्टि नामांकन के लिए आवेदन करे। परन्तु जब तक किसी

व्यष्टि को आधार संख्यांक और/या जन आधार आई.डी. समनुदेशित नहीं की जाती है तब तक उस व्यष्टि को लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं के परिदान के लिए पहचान के अनुकल्पी और व्यवहार्य साधनों की प्रस्थापना की जायेगी।

4. राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के अनुच्छेद 15 के अनुसार– **हिताधिकारी को प्रसुविधा का सीधा अन्तरण** – राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि कोई भी लोक कल्याणकारी प्रसुविधा, जब कभी ऐसी प्रसुविधाएं नकद प्रकृति की हों, अधिप्रमाणन के पश्चात हिताधिकारी के बैंक खाते में, और यदि लोक कल्याणकारी प्रसुविधाएं किसी कुटुंब की हैं तो कुटुंब के मुखिया के बैंक खाते में, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, सीधे अंतरित की जायेंगी।

5. राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के अनुच्छेद 18 के अनुसार– **सामाजिक लेखा परीक्षा** – (1) लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान की सामाजिक लेखापरीक्षा ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति से, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं में और नगरीय क्षेत्रों में वार्ड समितियों में या राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किसी अन्य फोरम में विहित की जाये, की जायेगी।

अनुच्छेद 18 के ही उप अनुच्छेद (2) के अनुसार लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान की विशिष्टियाँ राज्य के जन सूचना पोर्टल पर सदैव अपलोड की जायेंगी।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति 'ग्राम सभा' और 'वार्ड समिति' का वही अर्थ होगा जो उन्हें राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 23) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) में क्रमशः समनुदेशित किया गया है।

6. जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ प्रदान किये जा रहे हैं। जन आधार परिवार में दर्ज सदस्यों को नगद व गैर नगद लाभ संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रकिया अनुरूप दिया जा रहा हैं। जिसके फलस्वरूप जन आधार परिवार को प्राप्त लाभ का सम्पूर्ण विवरण एक ही स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। जन आधार परिवार एवं संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट संख्या जिससे संबंधित विभाग उक्त परिवार को चिन्हित करता हैं, कि सीडिंग की जाती है। जिससे दोहराव की सम्भावना नगण्य हो जाती हैं। जिससे आमजन में पारदर्शिता स्थापित होती हैं। उदाहरणतः जन आधार मोबाइल एप द्वारा भी जन आधार परिवार को प्राप्त लाभ परिवार का सदस्य एप के माध्यम से देख सकता हैं।

7 राजस्थान जन आधार योजना द्वारा स्थापित नए आयाम
(स्वतः सूचना एवं स्वतः अनुमोदन)

राज्य सरकार द्वारा आमजन को सरलता एवं सुगमता से लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभागों द्वारा संचालित लोककल्याणकारी योजनाओं के लाभ जन आधार के माध्यम से प्रदान करने हेतु स्वतः सूचना एवं स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत आमजन द्वारा जन आधार डेटाबेस में पात्रता पूर्ण करने के उपरान्त योजनाओं के लाभों से लाभान्वित हो सकने वाले लाभार्थियों को जन आधार पोर्टल से स्वतः संदेश जाता है कि ''आप इस योजना के लाभों के लिए पात्र हैं और अपना जीवितता प्रमाण समीप के ई–मित्र पर प्रदान करें।'' यदि पात्र लाभार्थी द्वारा योजना की पात्रता पूर्ण करने हेतु किसी भी प्रकार के दस्तावेज का अभाव है, तो जन आधार मे दर्ज मोबाइल नम्बर पर पात्रता पूर्ण करने संबंधी संदेश भी प्रसारित किया जाता है। तत्पश्चात बैक–एण्ड से स्वतः अनुमोदन होकर लाभार्थी द्वारा बिना आवेदन किए उसको उस योजना का लाभ मिलना प्रारम्भ हो जाता है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है।

वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में स्वतः आवेदन एवं स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है, जिसका नमूना संदेश है–

स्वतः–सूचना (Auto-Intimation)

चिन्हित लाभार्थियों को एसएमएस द्वारा भेजे जाने वाला प्रस्तावित नमूना संदेश

''...(आवेदक का नाम), जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के अनुसार आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की पात्रता रखते है, यदि आप चाहे तो निकटतम ई–मित्र केन्द्र अथवा स्वयं के एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से जन आधार संख्या का प्रयोग करते हुए बायोमैट्रिक अथवा ओ.टी.पी. सत्यापन के उपरांत पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।''

योजनाएं जिनमें लाभार्थियों को चिन्हित कर लाभ प्रदायगी हेतु स्वतः सूचना तथा स्वतः अनुमोदन प्रारम्भ किया जा चुका है। (चरण–1)

क्र.सं.	योजना का नाम
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOPS)
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
4	मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना (MMVSPY)
5	मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
6	मुख्यमंत्री विशेष विकलांग सम्मान पेंशन योजना
7	पालनहार योजना
8	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
9	सिलिकोसिस नीति
10	यूडीआईडी (UDID) – विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र

जन आधार रेजीडेंट डेटा रिपॉजिटरी के माध्यम से स्वतः अनुमोदन की प्रक्रिया

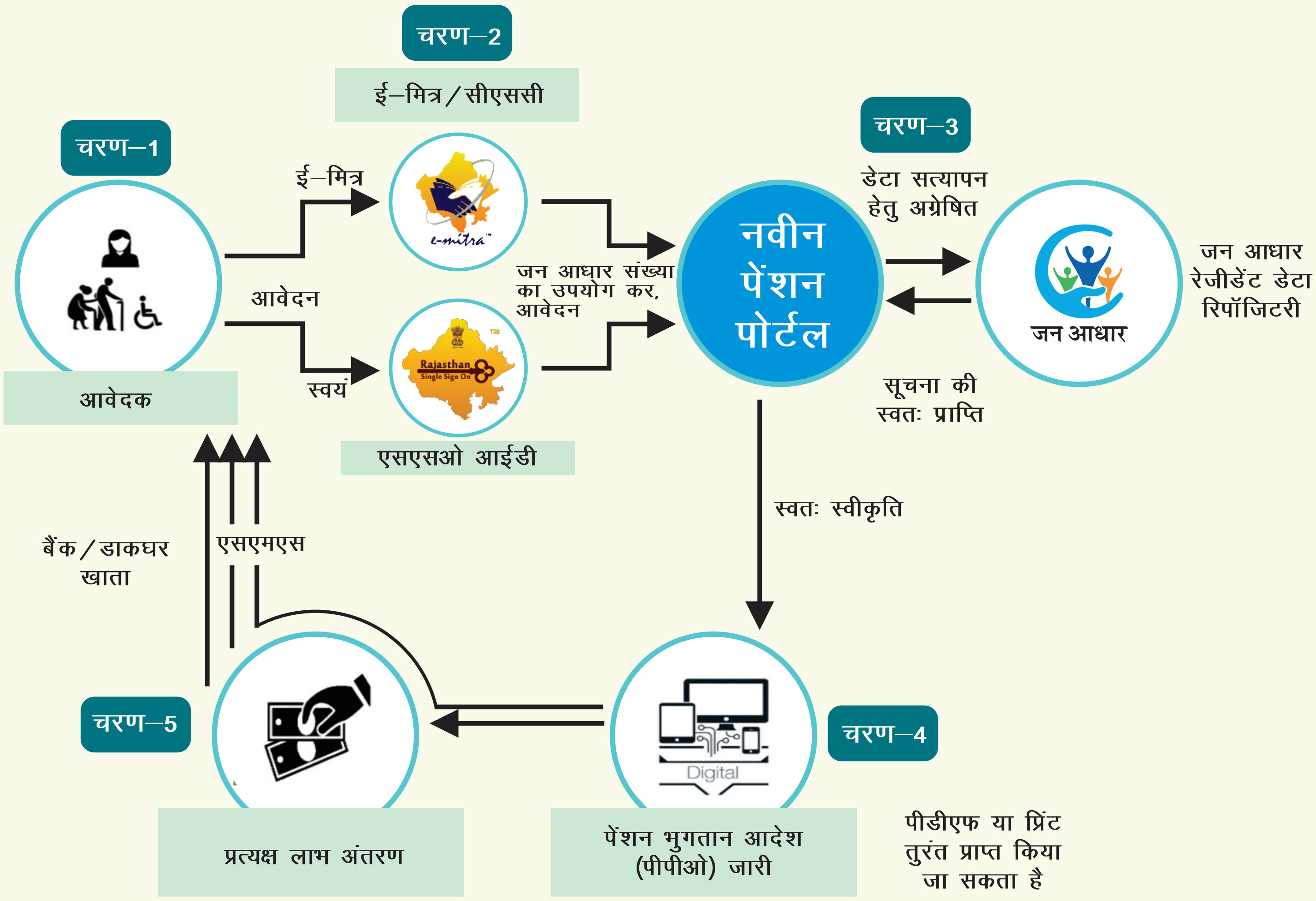

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की पूर्व एवं नवीन प्रक्रिया

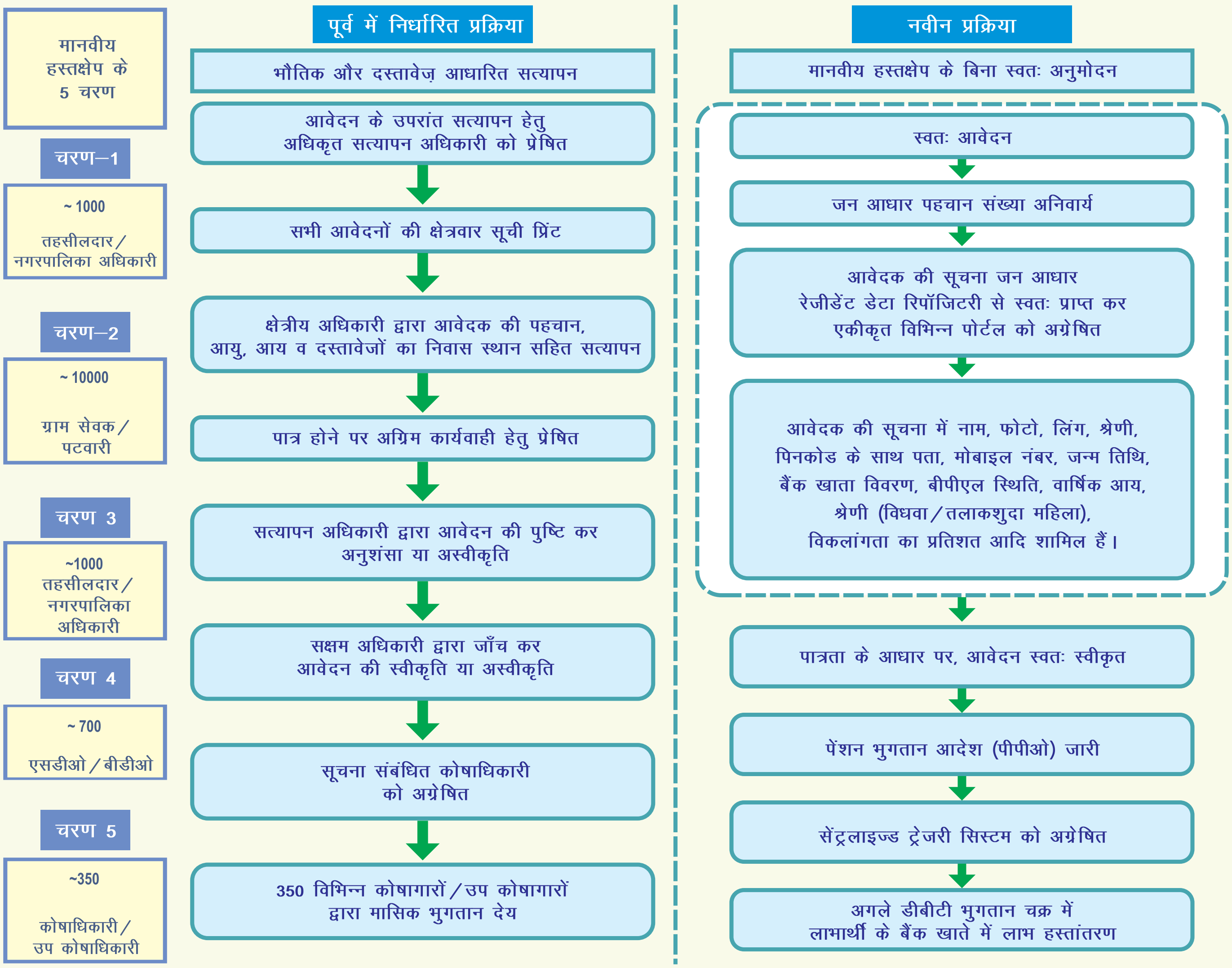

विभिन्न पोर्टल्स के साथ एकीकरण –
सरल, पारदर्शी, निर्बाध सेवा वितरण हेतु प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था

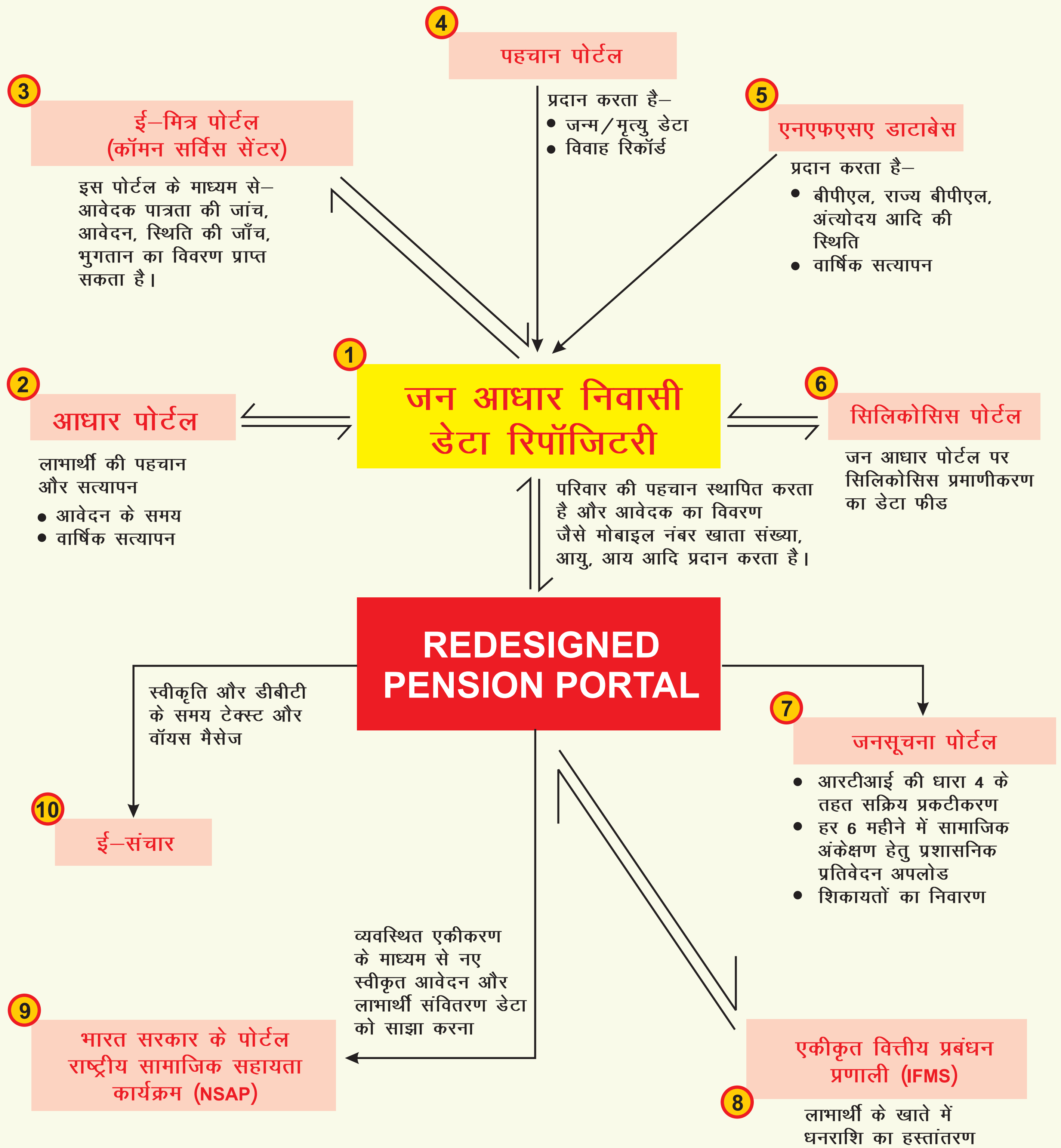

विभागीय पोर्टल्स के साथ समन्वय स्थापित कर निर्बाध लाभ अंतरण

जन आधार डेटाबेस के माध्यम से स्वतः स्वीकृति : लाभ

विशेषताएं	लाभ
• पात्र संभावित लाभार्थियों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं (पात्रता का स्वतः निर्धारण)	• समाज के कमजोर वर्गों की कठिनाइयों में कमी आएगी तथा आसान और पारदर्शी रूप से सुविधा की प्राप्ति
• जन आधार में दर्ज सूचना के आधार पर स्वतः स्वीकृति	• नौकरशाही बाधाओं को कम करके, त्वरित अनुमोदन एवं निर्बाध लाभ प्रदायगी सुनिश्चित
• जनसांख्यिकीय एवं विभागीय डेटाबेस में ऑटो अपडेशन	• यह डेटा में पारदर्शिता स्थापित कर मानवीय सत्यापन में कमी
• परिश्रम की बचत एवं अनावश्यक खर्च में कटौती	• कार्य की उत्पादकता में वृद्धि
• डेटा को पूर्ण करने हेतु प्रेषित	• लाभ प्रदायगी त्वरित संभव

8 जन आधार योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी)

8.1 नकद व गैर–नगद लाभों की प्रदायगी सुनिश्चित करवाना

नकद लाभ–पात्रता अनुसार देय सभी परिवारिक नकद लाभ सीधे परिवार के मुखिया के बैंक खाते में हस्तांतरित किये जाएंगे। व्यक्तिगत नकद लाभ संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में, यदि लाभार्थी का बैंक खाता नहीं है तो परिवार के मुखिया के बैंक खाते में हस्तांतरित किये जाते हैं।

गैर–नकद लाभ पात्रता अनुसार देय सभी पारिवारिक गैर–नकद लाभ परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य तथा व्यक्तिगत गैर–नकद लाभ संबंधित लाभार्थी (अवयस्क लाभार्थी की स्थिति में परिवार का मुखिया) स्वयं के आधार अधिप्रमाणन उपरान्त प्राप्त करता है।

8.2 घर के नजदीक लाभ हस्तांतरण हेतु सेवाओं का विस्तार करवाना

राजस्थान राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुदूर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार किया गया है ताकि आम निवासियों को घर के नजदीक योजनाओं के लाभ/सेवाएं प्राप्त हो सकें।

राज्य में गैर–नकद लाभ की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ तथा दिन–प्रतिदिन की सेवाएं घर के नजदीक प्रदान करने हेतु ई–मित्र केन्द्रों, ई–मित्र प्लस सेल्फ सर्विस कियोस्क, ई–कॉमर्स, बीमा इत्यादि सेवाओं का विस्तार किया गया है।

नकद लाभ वितरण हेतु बैंकिंग सेवाओं यथा बैंक बी.सी. ए.टी.एम., माइक्रो ए.टी.एम., डिजीटल पेमेन्ट किट इत्यादि का सुदूर क्षेत्रों में भी विस्तार किया गया है।

8.3 ई–मित्र परियोजना का विस्तार करवाना

राजस्थान जन आधार योजना के अन्तर्गत ई–मित्र परियोजना का संचालन एवं विस्तार किया गया है। राजस्थान जन आधार योजना के अन्तर्गत ई–मित्र के माध्यम से सेवा प्रदायगी में पारदर्शिता लाने और प्रभावी नियन्त्रण हेतु विनियम बनाये गये है।

8.4 पोर्टल्स (Portals) का एकीकरण (Integration) करवाना

परिवार को प्रदान किये जाने वाले विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभों से संबंधित एप्लीकेशनों को जन आधार पोर्टल से चरणबद्ध रूप से एकीकृत किया जाता है। एकीकरण के

पश्चात् संबंधित विभागों की एप्लीकेशनों द्वारा योजनाओं का लाभ जन आधार परिवार पहचान संख्या के माध्यम से ही हस्तांतरित किया जाता है तथा इसका विवरण जन आधार प्लेटफार्म से साझा किया जाता है।

राज्य में अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, अतः किसानों के उत्थान हेतु संचालित सभी योजनाओं को प्राथमिकता से राजस्थान जन आधार पोर्टल से जोड़ा गया है ताकि उन्हें प्राप्त होने वाले सभी नकद व गैर–नकद लाभ एवं सेवाएं सीधे व पारदर्शी रूप से समय पर प्राप्त हो सकें। जिन जनकल्याणकारी योजनाओं के डेटाबेस एवं भुगतान का ऑनलाईन प्लेटफॉर्म वर्तमान में उपलब्ध नहीं, उन सेवाओं एवं परिलाभों हेतु जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाता है।

8.5 जन कल्याणकारी योजनाओं हेतु लाभार्थियों की पात्रता का निर्धारण करवाना

केन्द्र व राज्य की विभिन्न योजनाओं के लाभ सीधे, बेहतर व समयबद्ध रूप से प्रदान करने हेतु "प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer-DBT)" की व्यवस्था लागू की गई हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की यह व्यवस्था केन्द्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, जिसकी भारत सरकार द्वारा डीबीटी भारत पोर्टल के माध्यम से नियमित समीक्षा की जाती है। वर्तमान में राज्य में 79 राज्य निधि से संचालित योजनाएं है।

राजस्थान की 138 डीबीटी योजनाएं (राज्य–पोषित तथा केन्द्र सहायतीत)

राज्य–पोषित अथवा केन्द्र सहायतीत	राज्य–पोषित	केन्द्र सहायतीत	कुल
कुल योजनाएं	79	59	138
कुल अधिसूचित	74	57	131
पूर्णतः डिजिटलाईज्ड	60	-	60
जन आधार से एकीकृत	55	-	55

जन आधार
से अब तक एकीकृत योजनाएँ

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम
1	कृषि विभाग	कृषि का अध्ययन करने वाली लड़कियों के लिए प्रोत्साहन
2	कृषि विभाग	कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी
3	कृषि विभाग	खेत तालाब पर सब्सिडी
4	कृषि विभाग	सिंचाई पाइपलाइन पर सब्सिडी
5	निदेशालय विशेष योग्यजन	सिलिकोसिस रोगियों को सहायता पुनर्भरण
6	निदेशालय विशेष योग्यजन	मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना
7	निदेशालय विशेष योग्यजन	विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना
8	आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	कृषि इनपुट सब्सिडी
9	प्रारम्भिक शिक्षा	एसबीसी/एमबीसी (विशेष समूह) के छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति
10	प्रारम्भिक शिक्षा	सफाई और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व्यवसायों से जुड़े लोगों के बच्चों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति
11	प्रारम्भिक शिक्षा	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति
12	प्रारम्भिक शिक्षा	अनुसूचित जाति के छात्रों को प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति
13	रोजगार विभाग	मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
14	खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरण
15	उच्च शिक्षा विभाग	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना
16	उच्च शिक्षा विभाग	मुख्यमंत्री संबल विधवा / परित्यक्ता बीएड योजना
17	उद्यानिकी विभाग	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–मिनी स्प्रिंकलर
18	उद्यानिकी विभाग	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–ड्रिप सिंचाई
19	उद्यानिकी विभाग	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–स्प्रिंकलर
20	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ICDS)	इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम
21	श्रम विभाग	हिताधिकारी की सामान्य दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014
22	श्रम विभाग	निर्माण श्रमिक बाजार/टूलकिट सहायता योजना
23	श्रम विभाग	निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना
24	श्रम विभाग	निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना
25	श्रम विभाग	निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना
26	श्रम विभाग	निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय की पुनर्भरण योजना
27	श्रम विभाग	प्रसूति सहायता योजना
28	चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	आशा सहयोगिनी प्रोत्साहन
29	चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	जननी सुरक्षा योजना (JSY)
30	चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
31	चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	राजश्री योजना (RSY)
32	आरएससीडीसी निगम	राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम
33	आरएससीडीसी निगम	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
34	आरएससीडीसी निगम	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम
35	आरएससीडीसी निगम	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम
36	आरएससीडीसी निगम	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
37	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सामाजिक सुरक्षा पेंशन
38	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सहयोग एवं उपहार योजना
39	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	पालनहार योजना
40	संस्कृत शिक्षा विभाग	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप (कक्षा 6 से 8)

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम
41	संस्कृत शिक्षा विभाग	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप (कक्षा 9 से 10)
42	संस्कृत शिक्षा विभाग	सफाई और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व्यवसायों से जुड़े लोगों के बच्चों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति
43	संस्कृत शिक्षा विभाग	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक स्कॉलरशिप (कक्षा 6 से 8)
44	संस्कृत शिक्षा विभाग	एसबीसी / एमबीसी (विशेष समूह) के छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति
45	संस्कृत शिक्षा विभाग	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)
46	संस्कृत शिक्षा विभाग	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक स्कॉलरशिप (कक्षा 11 से 12)
47	संस्कृत शिक्षा विभाग	ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति
48	संस्कृत शिक्षा विभाग	एसबीसी / एमबीसी (विशेष समूह) के छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति
49	माध्यमिक शिक्षा	एससी छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक स्कॉलरशिप (6 से 8)
50	माध्यमिक शिक्षा	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)
51	माध्यमिक शिक्षा	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक स्कॉलरशिप (6 से 8)
52	माध्यमिक शिक्षा	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक स्कॉलरशिप (9 से 10)
53	माध्यमिक शिक्षा	सफाई और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व्यवसायों से जुड़े लोगों के बच्चों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति
54	माध्यमिक शिक्षा	राजश्री योजना (RSY)
55	माध्यमिक शिक्षा	भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभाशाली बेटियों के लिए छात्रवृत्ति
56	माध्यमिक शिक्षा	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति (9 से 10)
57	माध्यमिक शिक्षा	ओबीसी छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति (6 से 10)
58	माध्यमिक शिक्षा	एसबीसी छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति (6 से 10)
59	माध्यमिक शिक्षा	ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम
60	माध्यमिक शिक्षा	एसबीसी/एमबीसी (विशेष समूह) के छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति
61	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	कॉलेज के छात्रों के लिए किराए पुनर्भरण योजना
62	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	सहरिया छात्रों को नियमित शिक्षा हेतु प्रोत्साहन योजना
63	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता
64	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	बोर्ड/विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण जनजाति क्षेत्र के छात्रों को छात्रवृत्ति
65	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	सहरिया छात्रों को बीएसटीसी प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता
66	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	निःशुल्क दाल, तेल, देशी घी (बारां में सहरिया परिवार/कठोड़ी जनजाति)
67	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	11वीं और 12वीं की छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता
68	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	सहरिया छात्रों को ए.एन.एम. प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता
69	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	सहरिया छात्रों को बी.एड प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता
70	महिला अधिकारिता विभाग	इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना

जन आधार
से अब तक जुड़ी सेवाएँ

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभागीय सेवा का नाम
1	कृषि विभाग	राज किसान
2	कृषि विभाग	जल भंडारण टैंक पर सब्सिडी
3	वन विभाग	वन प्रबंधन और निर्णय समर्थन प्रणाली
4	देवस्थान विभाग	कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा
5	देवस्थान विभाग	सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा
6	देवस्थान विभाग	वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा
7	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय	जन्म और मृत्यु पंजीकरण
8	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय	पहचान
9	सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार	आरसीएटी के लिए पंजीकरण
10	सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार	ई–मित्र
11	उच्च शिक्षा विभाग	उच्च शिक्षा प्रवेश
12	उद्यानिकी विभाग	ग्रीन हाउस
13	उद्यानिकी विभाग	प्याज का भंडारण
14	उद्यानिकी विभाग	ऑर्चर्ड
15	उद्यानिकी विभाग	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– माइक्रो स्प्रिंकलर
16	उद्यानिकी विभाग	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– रेन गन
17	उद्यानिकी विभाग	शेड नेट हाउस
18	उद्यानिकी विभाग	सोलर सब्सिडी
19	उद्यानिकी विभाग	वॉक–इन टनल
20	श्रम विभाग	श्रम विभाग प्रबंधन प्रणाली
21	स्वायत्त शासन विभाग	एलएसजी
22	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली
23	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभागीय सेवा का नाम
24	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	एंड टू एंड परीक्षा समाधान
25	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पादन
26	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली
27	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि (SIPF)	मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
28	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि (SIPF)	आरजीएचएस (RGHS)
29	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता–समाज कल्याण योजना	सामाजिक न्याय प्रबंधन प्रणाली
30	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	वन अधिकार अधिनियम
31	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	छात्रावास और योजना निगरानी प्रणाली
32	महिला अधिकारिता	आरएस–सीआईटी के लिए लड़कियों को फीस पुनर्भरण

9 जन आधार योजना के माध्यम से अधिप्रमाणन

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के अनुच्छेद 3 के अनुसार– **लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए आधार और/या जन आधार का अधिप्रमाणन और सबूत आवश्यक होना–** राज्य सरकार, किन्हीं ऐसी लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं, जिनका व्यय राज्य की समेकित निधि से उपगत किया जाता है, की प्राप्ति के लिए किसी व्यष्टि की पहचान शर्त के रूप में स्थापित करने के प्रयोजन के लिए, यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसा व्यष्टि आधार संख्यांक और/या जन आधार आई.डी. का अधिप्रमाणन करवाये या उसके कब्जे का सबूत दे या ऐसे किसी व्यष्टि के मामले में, जिसे कोई आधार संख्यांक और कोई जन आधार आई.डी. समनुदेशित नहीं की गयी है वहां ऐसा व्यष्टि नामांकन के लिए आवेदन करें परन्तु जब तक किसी व्यष्टि को आधार संख्यांक और/या जन आधार आई. डी. समनुदेशित नहीं की जाती है तब तक उस व्यष्टि को लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं के परिदान के लिए पहचान के अनुकल्पी और व्यवहार्य साधनों की प्रस्थापना की जायेगी।

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 के नियम 3 में जन आधार के माध्यम से प्रमाणीकरण के निम्न दो प्रकार वर्णित हैं –

(अ) हाँ/नहीं प्रमाणीकरण सुविधा, जो नियम 4 के उप–नियम (2) में निर्दिष्ट किसी भी तरीके का उपयोग करके की जा सकती है; तथा

(ब) ई–एफए/ई–एमए प्रमाणीकरण सुविधा, जिसे नियम 4 के उप–नियम (2) में निर्दिष्ट केवल वन टाइम पिन का उपयोग करके किया जा सकता है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) हेतु स्वतः संदेश एवं स्वतः अनुमोदन की प्रक्रिया

10 जन आधार एवं आधार

आधार में व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान यथा नाम, जन्मतिथि, पता और लिंग की सूचना के साथ बायोमैट्रिक सूचनाएं शामिल होती हैं जबकि जन आधार में व्यक्तिगत पहचान की सूचनाओं के साथ परिवार का सम्पूर्ण विवरण यथा पात्रता, बैंक खाते की सूचना इत्यादि लगभग 41 प्रकार की सूचनाओं का समावेश होता है। निम्नलिखित तालिका में जन आधार एवं आधार का तुलनात्मक विवरण दिया गया है :

तालिका 10.1 : जन आधार एवं आधार

जन आधार	आधार
• **सम्पूर्ण सेवा प्रदायगी प्लेटफार्म जिसमें निम्नलिखित का समावेश है :** **1. पहचान** **2. पात्रता** **3. लाभ हस्तांतरण (अलग से डीबीटी विभाग की आवश्यकता नहीं है)** **4. हस्तांतरित लाभों का ब्यौरा**	• केवल व्यक्तिगत पहचान यथा नाम, जन्म तिथि, पता, लिंग एवं व्यक्ति की बायोमैट्रिक सूचना
• **वित्तीय समावेशन – प्रत्येक निवासी की सूचना के साथ लाभ हेतु बैंक खाते का जोड़ा गया है। प्रत्येक जन आधार नामांकन में मुखिया के बैंक खाते को सूचना में आवश्यक रूप से जोड़ा गया है।**	• इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं, आधार के साथ बैंक खाते का जोड़ा जाना व्यक्ति विशेष पर निर्भर है।
• **महिला सशक्तिकरण – जन आधार में परिवार की मुखिया महिला को बनाया गया है, परिवार की महिला मुखिया का एक बैंक खाता आवश्यक रूप से खुलवाया जाता है एवं समस्त पारिवारिक लाभ इसी खाते में जमा होते है। महिला मुखिया भी इस खाते से लेन–देन कर सकती है।**	• ऐसी कोई सुविधा नहीं।

जन आधार	आधार
• **जन आधार रेजिडेन्ट डेटा रिपोजिटरी में राज्य के परिवारों एवं उनके सदस्यों के पूर्ण सामाजिक–आर्थिक आंकडें, सरकारी योजना के लाभ हेतु पात्रता की सूचना, व्यक्ति एवं परिवार की मुख्य जानकारी के साथ उपलब्ध होती है।**	• आधार में डेटा मात्र नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि एवं मोबाईल की सूचना उपलब्ध होती है।
• **जन आधार रेजिडेन्ट डेटा रिपोजिटरी में व्यक्ति की बायोमैट्रिक पहचान संकलित नहीं की जाती है।**	• आधार डेटा की प्रमुख विशेषता व्यक्ति की बायोमैट्रिक पहचान है।
• **जन आधार कार्ड परिवार एवं व्यक्ति की पहचान, पते एवं संबंध हेतु अधिकृत प्रमाण है।**	• आधार कार्ड भी पहचान एवं पते के दस्तावेज के रूप में अधिकृत प्रमाण है परंतु संबंध हेतु अधिकृत नहीं
• **जन आधार योजना आधार के बायोमैट्रिक पहचान तंत्र, कोर बैंकिंग तंत्र तथा राज्य सरकार के समन्वित वित्तीय प्रबंधन तंत्र का भरपूर उपयोग करती है।**	• पूर्णतः एकल तंत्र– सीडिंग और मिलान मूलभूत संरचना का लाभ लेने के लिए एक पृथक से प्रक्रिया है।
• **राज्य के सभी निवासियों के लिए एक सम्पूर्ण सूचना तंत्र –** **1. पात्रता की गणना हेतु जन सांख्यिकी एवं सामाजिक स्तरीय मापदण्डो का समावेश।** **2. राज्य के सभी विभागों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ हस्तांतरित करने के लिए विभागीय सॉफ्टवेयर/ पोर्टल में जन आधार सूचना तंत्र का उपयोग संभव**	• सीमित एकल पहचान सूचना तंत्र जिसका किसी अन्य विभागीय सूचना तंत्र से मिलान अनिवार्य नहीं
• **नकद और गैर नकद लाभों के हस्तांतरण हेतु सम्पूर्ण राज्य की ग्राम पंचायतो एवं शहरी वार्डों में ई–मित्र कियोस्कों, बैंक बीसी की स्थापना**	• आधार केवल पहचान सुनिश्चित करता है सेवा प्रदायगी के लिए अभी कोई योजना नहीं हैं।

11 राजस्थान जन आधार योजना है अनूठी योजना!

- यह एक परिवार आईडी प्रदान करता है। (सामान्य व्यक्तिगत आईडी के अलावा)
- उन सभी सरकारी विभागों के लिए एक मात्र मंच प्रदान करता है जो राज्य के निवासियों को नकद या गैर–नकद लाभ/सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
- प्रमाणीकरण के आधार प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर लाभार्थी को बायोमेट्रिक रूप से प्रमाणित किया जाता है।
- लाभार्थियों की पहचान और प्रमाणीकरण उनके घर के समीप किया गया है और सत्यापन की दो–स्तरीय प्रणाली के माध्यम से सत्यापित किया गया है, जिससे डेटा को सबसे साफ और विश्वसनीय संभव बनाया जा सके।
- परिवर्तन प्रबंधन (Change Management) और क्षमता निर्माण (Capacity Building) योजना की शुरुआत से ही लागू किया गया है ताकि इसे सरकारी तंत्र के साथ–साथ जन प्रतिनिधियों को भी अधिक स्वीकार्य बनाया जा सके।
- दोहराए जाने वाले कदमों से बचने और बाधाओं को दूर करने के लिए विभागीय डेटा बेस के साथ–साथ एप्लिकेशन को जन आधार एप्लिकेशन के साथ एकीकृत किया गया है।
- जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिस हेतु जन आधार कार्ड या जन आधार संख्या आवश्यक है। जन आधार नामांकन के सफल सत्यापन उपरान्त जन आधार परिवार संख्या जारी कर जन आधार कार्ड प्रदान किया जाता है। प्रथम सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अधिशाषी अधिकारी द्वारा किया जाता हैं एवं द्वितीय सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रो में उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जाता हैं। आवेदक की सूचना का सत्यापन 10–10 दिवस की निर्धारित अवधि में सत्यापन अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है, यदि कारणवश सत्यापन अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं किया जाता है तो मानित सत्यापन की व्यवस्था से सत्यापन किया जाता है। जिससे आमजन को सरलता, सुगमता और पारदर्शी रूप से लाभ प्रदान किया जा सके। साथ ही मानित सत्यापन यदि त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित सत्यापन अधिकारी की रहेगी।
- राजस्थान जन आधार योजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लाभों हेतु जन आधार नामांकन आवश्यक है। वर्तमान में 2011 की जनगणना की तुलना में जन आधार नामांकन अधिक हो गये हैं तथा सम्भावित जनगणना में निर्धारित परिवारों एवं व्यक्तियों के लक्ष्य का लगभग नामांकन हो चुका हैं। चूंकि जन आधार पोर्टल एवं पहचान पोर्टल के एकीकरण से जन्म एवं मृत्यु की गणना से वास्तविक समय में गणना (Real Time Census) सम्भव हैं। जिससे सरकार का जनसंख्या की गणना में लगने वाला समय एवं धन में बचत हो सकेगी।

जन सूचना पोर्टल पर प्रशासनिक प्रतिवेदन को देखने/डाउनलोड करने की प्रक्रिया

https://jansoochna.rajasthan.gov.in/

जन सूचना पोर्टल-2019

सशक्त नागरिक, खुशहाल राजस्थान

चयन करें / Click Here

योजनाओं के लाभार्थी

Click here for Schemes

DEPARTMENTS | SCHEMES

Jan Aadhaar

RTI Right To Information

जन आधार

अपने क्षेत्र के जन आधार लाभार्थियों की सूचना देखें

Know about Jan Aadhaar beneficiaries in your area

जन आधार

जन आधार लाभार्थियों की जानकारी

Benefits Distributed to Jan-Aadhaar Families

जन आधार

Benefits Distributed to Jan Aadhaar Famililies

जन आधार के लाभार्थियों की जानकारी

क्षेत्र

○ शहरी ◉ ग्रामीण

जिला *

चयन करें जिला

पंचायत समिति *

चयन करें पंचायत समिति

अवधि/Period *

चयन करें अवधि/Period

- चयन करें अवधि/Period
- From 18.12.2019 to 30.06.2020
- From 01.07.2020 to 31.12.2020
- 2021P1
- 2021P2
- 2022P1

खोजें | क्लियर

फाइल का नाम/File Name	फाइल डाउनलोड करें
Ajmer-Ajmer-WardNo39-V-37-2021.pdf	अधिक जानकारी/Get More

फाइल डाउनलोड करें
PDF Click Here To Open File

इस प्रकार क्लिक करने पर वांछित प्रतिवेदन की फाइल का अवलोकन/डाउनलोड किया जा सकता है।

12 पारदर्शिता एवं सामाजिक अंकेक्षण

12.1 पारदर्शिता एवं सामाजिक अंकेक्षण करवाना

- परिवार को समय–समय पर प्रदान किए गए नकद व गैर–नकद लाभों के प्रत्येक लेन–देन की जानकारी जन आधार पंजीयन में दर्ज मोबाईल नम्बर पर प्रेषित की जाती है।
- परिवार को पात्रता अनुसार समय–समय पर देय लाभ व प्रदान किए गए लाभ की जानकारी जन आधार पोर्टल/मोबाईल ऐप/ई–मित्र केन्द्र/ई–मित्र प्लस सेल्फ सर्विस कियोस्क पर ट्रांजेक्शन मैपर में उल्लेखित होगी, जिसे परिवार का कोई भी सदस्य बायोमैट्रिक/मोबाईल ओ.टी.पी. के माध्यम से सत्यापन उपरान्त देख सकता है।
- साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सभा में तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड समिति के समक्ष समय–समय पर जन–सूचना पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को हस्तांतरित लाभों का ब्यौरा सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करवाया जाता है।
- राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम–2020 की धारा 18 की अनुपालना में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में लोक कल्याणकारी सुविधाओं के प्रदान की विशिष्टियां जन सूचना पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे। उक्त अधिनियम की अनुपालना में राजस्थान जन आधार योजनान्तर्गत दिनांक 18 दिसम्बर 2019 से 30 जून 2022 (छः छः माह के अंतराल में) तक के प्रशासनिक प्रतिवेदन सामाजिक अंकेक्षण हेतु जन सूचना पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं।
- उक्त प्रशासनिक प्रतिवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित ग्राम सभा एवं नगरीय क्षेत्रों में आयोजित वार्ड समितियों में पढ़कर सुनाया जाता है तथा यदि लाभार्थी द्वारा कोई आक्षेप प्रस्तुत किया जाता है तो उसको इन्द्राज कर उसका निस्तारण करवाया जाता है।

राजस्थान जन–आधार योजना के लिए पंजीयन–प्रपत्र

परिवार के मुखिया का नाम.. परिवार की श्रेणी : एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी/सामान्य जाति : ....
भूधारक श्रेणी: लघु किसान/सीमान्त किसान/अन्य किसान/भूमिहीन भूमि का प्रकार : सिंचित/असिंचित/दोंनो क्या परिवार अल्पसंख्यक समुदाय से है? (हां/ना)............
आवासीय पता : मकान सं............ अपार्टमेन्ट .... गली .... वार्ड सं........... ग्राम/मगरा/ढाणी/कॉलोनी/ ....
ग्राम पंचायत/शहर.. तहसील.............................. जिला........................... पिन कोड.................. राज्य राजस्थान
दूरभाष सं.(लैण्ड लाईन)......................... मोबाईल नं.. ई–मेल..
पारिवारिक बैंक का नाम............................. बैंक शाखा का नाम.................................... पारिवारिक बैंक खाता संख्या ....IFSC code.............
मकान श्रेणी : स्वतंत्र मकान/बंगला/अपार्टमेन्ट/मकान रहित मकान की स्थिति : पक्का/अर्द्ध पक्का/कच्चा/झोपड़ी वर्तमान पते पर निवास की अवधि.................वर्ष

क्र. स.	आधार संख्या	परिवार के मुखिया से संबंध	नाम	पिता का नाम	माता का नाम	लिंग	जन्म तिथि/आयु (dd/mm/yy)	वैवाहिक स्थिति	पति/पत्नी का नाम	शिक्षा का स्तर	व्यवसाय	विशेष योग्यजन	वार्षिक आय (रू)	निवासी श्रेणी	बैक मय शाखा का नाम	बैंक खाता संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.		स्वयं															
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	

कॉलम सं.3 –	मुखिया से संबंध	:	1–स्वयं 2–पत्नी/पति 3–पुत्र/पुत्री 4–दामाद/पुत्रवधु 5–पौत्र/पौत्री 6–पिता/माता 7–ससुर/सास 8–पड़पौत्र/पौत्री
कॉलम सं.7 –	लिंग	:	1–पुरूष 2–स्त्री 3–विपरित लिंग(ट्रांसजेन्डर)
कॉलम सं.9 –	वैवाहिक स्थिति	:	1–अविवाहित 2–विवाहित 3–विधवा/विधुर 4–तलाकशुदा 5–परित्याग 6–अन्य
कॉलम सं.11–	शिक्षा का स्तर	:	1–निरक्षर 2–साक्षर 3–प्राथमिक 4–उच्च प्राथमिक 5–माध्यमिक 6–उच्च माध्यमिक 7–स्नातक 8–स्नातकोत्तर 9–अन्य
कॉलम सं.12–	व्यवसाय	:	1–राज्य कर्मी 2–केन्द्रीय कर्मी 3–सार्वजनिक क्षेत्र/बैंक कर्मी 4–निजी क्षेत्र कर्मी 5–स्वनियोजित 6–व्यवसायी 7–श्रमिक 8–कृषक 9–बेराजगार 10–अन्य
कॉलम सं.13–	विशेष योग्यजन	:	1–अन्धता 2–बधिर 3–अपंगता 4–मानसिक 5–अन्य
कॉलम सं.14–	वार्षिक आय (रू)	:	1–5000 से कम 2– 5000 से 20000 3– 20000 से 50000 4– 50000 से 01 लाख 5– 01लाख से 02 लाख 6– 02 लाख से 4.5 लाख 7– 4.5 लाख से 10 लाख 8– 10 लाख से अधिक
कॉलम सं.17–	निवासी श्रेणी	:	1–निवासी 2–अप्रवासी 3–अप्रवासी भारतीय (एनआरआई)

आवेदक के हस्ताक्षर/
बायें हाथ की अंगूठा निशानी
नाम...............................

सत्यापन दस्तावेज

परिवार पहचान दस्तावेज–

राशन कार्ड संख्या...
विद्युत खातासंख्या : ....
गैस कनेक्शन संख्या : ....
महात्मा गांधी नरेगा कार्ड संख्या.......................................

बीपीएल/स्टेट बीपीएल संख्या : ....
जल आपूर्ति खाता संख्या.......................................
गैस एजेन्सी का नाम : इण्डेन/एचपी/भारत गैस/अन्य
एसईसीसी परिवार संख्याः ....

व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज–

क. स.	नाम	मतदाता पहचान पत्र संख्या	पेन कार्ड संख्या	ड्राईविंग लाईसेंस संख्या	पासपोर्ट संख्या	श्रमिक कार्ड संख्या	रोजगार पंजीयन कमांक	सरकारी कर्मचारियों की आईडी संख्या	सामाजिक सुरक्षा पेंशन पी.पी.ओ. नम्बर	मोबाईल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
4.										
5.										
6.										

उपरोक्त उल्लेखित समस्त सूचनाऐं मेरी जानकारी अनुसार सही 000 हैं। परिवार के सदस्यों का आधार संख्या जन–आधार योजना के माध्यम से राजकीय योजनाओं के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ/सेवा प्राप्त करने हेतु स्वेच्छा से दर्ज करवाये गये है। मेरे द्वारा किसी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।

दिनांकः...............

आवेदक के हस्ताक्षर/
बायें हाथ की अंगूठा निशानी
नाम.................................

जन आधार सम्बन्धी सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

i. जन आधार योजना क्या है ?

उत्तर– जन आधार "एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान" योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासी परिवारों की जन–सांख्यिकीय एवं सामाजिक–आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार किया जाना है एवं जन आधार कार्ड के माध्यम से परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान तथा पते दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करना है । इस योजना के माध्यम से राज्य की विभिन्न नगद विभागीय योजनाओं के लाभ पारदर्शी रूप से सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में तथा राज्य के निवासियों को जनकल्याण की योजनाओ के लाभ उनके घर के समीप उपलब्ध कराना एवं ई–कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रो में विस्तार करना।

ii. जन आधार कार्ड से आम–जन को क्या क्या लाभ प्राप्त होंगें ?

उत्तर– इस योजना में लाभ वितरण हेतु मानवीय हस्तक्षेप को कम कर सूचना प्रोद्योगिकी को अपनाकर, विभिन्न राजकीय योजनाओं के नगद व गैर–नगद लाभ सीधे व पारदर्शी रूप से पात्र वास्तविक लाभार्थी को ही हस्तांतरित किये जाते है। जिसकी सूचना नियमित रूप से मोबाइल पर भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार लाभ वितरण की प्रक्रियाओं मे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

iii. क्या राज्य के सभी निवासियों को जन–आधार नामांकन करवाये जाने की आवश्यकता है?

उत्तर– नहीं, स्टेट रेजीडेंट डाटा रिपोजिटरी में पूर्व पंजीकृत परिवारों को 10 अंकीय जन आधार परिवार पहचान संख्या प्रदान की गई है। जन आधार पहचान संख्या को मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. एवं वॉयस कॉल के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। इसे निकटस्थ ई–मित्र/ई–मित्र प्लस पर आधार/परिवार पहचान संख्या देकर भी प्राप्त किया जा सकता है।

iv. नवीन पंजीकरण कैसे किया जा सकेगा ?

उत्तर– जन आधार पंजीयन हेतु राज्य के निवासी व परिवार का व्यस्क सदस्य जन आधार पोर्टल पर स्वयं अथवा नजदीकी ई–मित्र पर निशुल्क पंजीयन करा सकता है। ज्ञात रहे पंजीयन से पूर्व जांच ले कि निवासी पहले से पंजीकृत है या नहीं। परिवार द्वारा दर्ज करवाई गई सूचनाओं व अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन उपरांत 10 अंकीय जन–आधार परिवार संख्या प्रदान की जाएगी तथा उसके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर सूचित किया जायेगा।

v. जन–आधार कार्ड कैसे प्राप्त किया जा सकेगा ?

उत्तर– परिवार को जन–आधार पहचान संख्या जारी होने के उपरान्त मुद्रित कार्ड सीधे सम्बन्धित नगर निकाय/पंचायत समिति/ई–मित्र को वितरण हेतु प्रेषित किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित नगर निकाय/पंचायत समिति के द्वारा

सम्बन्धित परिवार को एकबारीय निःशुल्क कार्ड वितरित किया जाएगा। नामांकित परिवार जन आधार ई–कार्ड, जन–आधार पोर्टल अथवा एस.एस.ओ. आई डी के माध्यम से भी निःशुल्क डाउनलोड कर सकता है।

vi. क्या जन आधार में संशोधन/अद्यतन करवाया जा सकता है ?

उत्तर– हां, जन आधार पंजीयन में दर्ज सूचनाओं में किसी भी प्रकार का संशोधन/अद्यतन ई–मित्र पर करवाया जा सकेगा। संशोधन/अद्यतन परिवार के मुखिया/वयस्क सदस्य द्वारा आधार अधिप्रमाणन के माध्यम से कराया जा सकेगा। निवासी चाहे तो अद्यतन जन–आधार ई–कार्ड को ई–मित्र प्लस पर जाकर भी डाउनलोड कर सकता है अथवा निर्धारित शुल्क देकर पी.वी.सी. कार्ड भी प्राप्त कर सकता है।

vii. जन आधार नामांकन के समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता है ?

उत्तर– जन आधार नामांकन के समय कम से कम निम्नलिखित में से दो दस्तावेजों की आवश्यकता है। इसमें यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि उक्त दो दस्तावेजों में एक पहचान सिद्ध करता हो तथा एक पते की जानकारी देता हो। ये दस्तावेज हैं– आधार कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड, नरेगा कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पानी का बिल, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, निवासी की फोटो एवं बैंक खाता संख्या (बैंक की पासबुक)।

viii. जन आधार नामांकन के समय किन लोगों की उपस्थिति आवश्यक है?

उत्तर– जन आधार योजना के अन्तर्गत परिवार के सभी सदस्यों का नामांकन किया जाना आवश्यक है। जन आधार योजना का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक परिवार को एक पारिवारिक समूह में नामांकित कर एक जन–आधार कार्ड जारी करना भी है अतः परिवार के सभी सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

ix. क्या जन आधार नामांकन के लिए आधार नामांकन होना आवश्यक है?

उत्तर–हाँ। चूँकि जन आधार का मुख्य उद्देश्य सही निवासी की पहचान भी है जिसके लिए निवासी की उँगलियों के निशान तथा आँखों की पुतलियों की फोटो होना आवश्यक है अतः जन आधार नामांकन के लिए आधार नामांकन होना आवश्यक है। बिना आधार नामांकन के किसी भी निवासी का जन आधार योजना के अन्तर्गत नामांकन नहीं किया जायेगा।

x. परिवार का मुखिया किसे घोषित किया जा सकता है ?

उत्तर–सामान्यतः पारिवारिक सहमति से 18 वर्ष से अधिक आयु की परिवार की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरूष मुखिया हो सकता है। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला और 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरूष भी नहीं हो तो परिवार में अधिकतम आयु का कोई भी सदस्य, परिवार का मुखिया होगा।

xi. क्या जन आधार नामांकन / जन आधार नामांकन प्रपत्र का कोई शुल्क देय होगा ?

उत्तर— नहीं। जन आधार नामांकन निःशुल्क है तथा जन आधार नामांकन प्रपत्र का भी कोई शुल्क देय नहीं है।

xii. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) क्या होता हैं ?

उत्तर— प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण देश एवं राज्य की महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक हैं। वर्तमान प्ररिपेक्ष्य में राजस्थान राज्य लाभ हस्तांतरण में अग्रणी राज्य हैं। जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा संचालित यथा— पेशंन, चिरंजीवी, छात्रवृति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि योजनाओं के नगद लाभ पात्र लाभार्थीयो को सीधे बैक खातो में व गैर नगद लाभ आधार व जन आधार अधिप्रमाणन उपरान्त हस्तांतरित किये जाते हैं।

xiii. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) का आम नागरिक के जीवन में क्या योगदान हैं ?

उत्तर— डीबीटी का आम नागरिक के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान यह हैं कि लाभ प्रत्यक्ष रूप से पात्र लाभार्थी को समयबद्ध एवं सुगमता से प्रदान किये जा रहे है, जिससे लाभार्थी के समय व धन की बचत हो रही है। इसके अतिरिक्त जालसाज / दोहरा लाभार्थी को रोकने में सहायक हैं तथा मध्यवर्त्ती व्यक्तियों का हस्तक्षेप भी कम हुआ हैं। साथ ही पेंशन जैसी योजनाओं में मनी ऑर्डर के माध्यम से पेशंन का भुगतान किया जाता था। जिसमें मनी ऑर्डर हेतु पृथक से शुल्क दिया जाता था। परन्तु जन आधार के माध्यम से योजनाओं में भुगतान प्रत्यक्ष रुप से बैंक खातो में किया जा रहा हैं।

xiv. जन आधार के माध्यम से किन—किन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है ?

उत्तर— जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा संचालित यथा— पेंशन, चिरंजीवी, छात्रवृति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पालनहार योजना, राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क कोचिंग योजना, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) इत्यादि योजनाओं का लाभ वर्तमान में प्रदान किया जा रहा हैं।

xv. योजनाओं के लाभ हेतु स्वतः संदेश (Auto Intimation) एवं स्वतः अनुमोदन (Auto Approval) की व्यवस्था से आमजन को क्या—क्या लाभ है ?

उत्तर— राज्य सरकार द्वारा आमजन को सरलता एवं सुगमता से लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभागों द्वारा संचालित लोककल्याणकारी योजनाओं के लाभ जन आधार के माध्यम से प्रदान करने हेतु स्वतः आवेदन एवं स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत आमजन द्वारा पात्रता पूर्ण करने के उपरान्त योजनाओं के लाभों से लाभान्वित किया जा रहा है। यदि पात्र लाभार्थी द्वारा योजना की पात्रता पूर्ण करने हेतु किसी भी प्रकार के दस्तावेज का अभाव है, तो जन आधार मे दर्ज मोबाइल नम्बर पर पात्रता पूर्ण करने संबंधी संदेश प्रसारित किया जायेगा।

xvi. जन आधार नामांकन के सत्यापन की क्या प्रकिया है ?

उत्तर– जन आधार नामांकन के सफल सत्यापन हेतु प्रथम सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अधिशाषी अधिकारी द्वारा किया जाता हैं एवं द्वितीय सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रो में उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जाता हैं। आवेदक की सूचना का सत्यापन 10–10 दिवस की निर्धारित अवधि में सत्यापन अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है, यदि कारणवश सत्यापन अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में सत्यापन नही किया जाता हैं तो मानित सत्यापन की व्यवस्था से सत्यापन किया जाता हैं। जिससे आमजन को सरलता, सुगमता और पारदर्शी रूप से लाभ प्रदान किया जा सकें। साथ ही मानित सत्यापन यदि त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी मानित सत्यापित अधिकारी की रहेगी।

जिलेवार जन आधार परिवार व सदस्यों के नामांकन

(31 दिसम्बर 2022 के अनुसार)

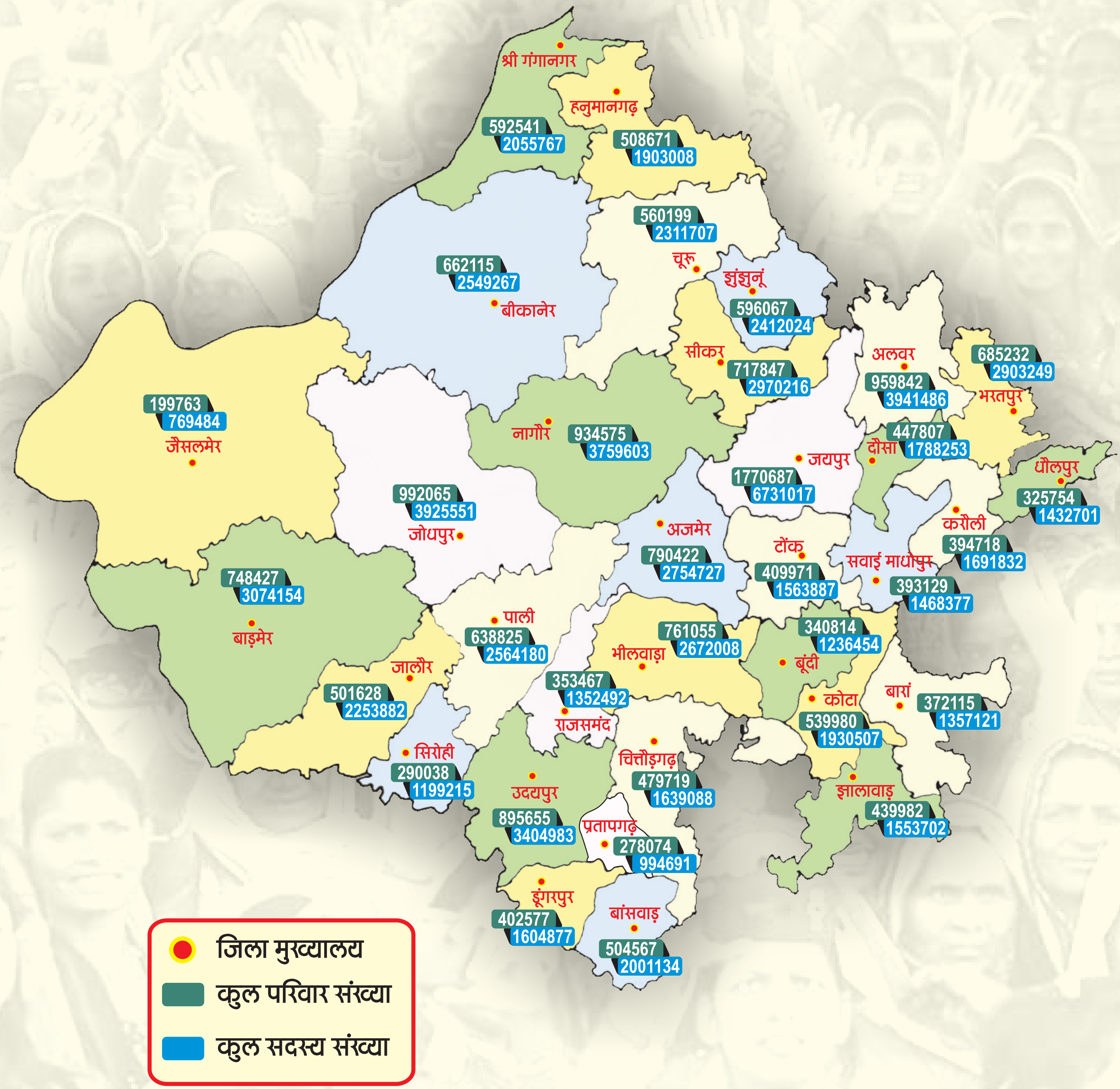

Map not to scale

जन सुविधाओं का
नया आधार

जन आधार

जन आधार

सरकारी सुविधा पाने का नया आधार

AI (Artificial Intelligence) एवं ML (Machine Learning)
के माध्यम से पात्र लाभार्थियों की स्वत: पहचान
और पात्र लाभों की बिना आवेदन के स्वत: प्रदायगी।

"मेरा अधिकार मेरे हाथ"

अधिक जानकारी के लिए जन आधार हेल्पडेस्क नम्बर 0141-2850287, 2923377 अथवा 181 पर कॉल करें या https://janaadhaar.rajasthan.gov.in देखें।

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, आयोजना विभाग
योजना भवन, जयपुर